



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24042026-272038
CG-DL-E-24042026-272038

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1991]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 23, 2026/वैशाख 3, 1948

No. 1991]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 23, 2026/VAISAKHA 3, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अप्रैल, 2026

का.आ. 2064(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ (2) और (3) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करती है।

उक्त राजमार्गों, जिन्हें अब राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाना है, को उक्त तालिका के क्रमशः स्तम्भ (1), (2) और (3) में यथा-निर्दिष्ट नई क्रम संख्याओं, नई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्याओं तथा राष्ट्रीय राजमार्गों के विवरण के साथ उक्त अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया समझा जाएगा।

क्र. सं.	नई राष्ट्रीय राजमार्ग सं.	राष्ट्रीय राजमार्गों का विवरण
(1)	(2)	(3)
157	48	धौला कुआं (दिल्ली) से शुरू होकर हरियाणा राज्य में बावल, राजस्थान राज्य में जयपुर के निकट कोटपुतली, किशनगढ़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, गुजरात राज्य में अहमदाबाद, वडोदरा, अंकलेश्वर, महाराष्ट्र राज्य में मुंबई, ठाणे, पुणे, सतारा, कोल्हापुर, कर्नाटक राज्य में बेलगाम, चित्रदुर्ग, बेंगलुरु, तमिलनाडु राज्य में चेन्नई के निकट तंदावलम से शुरू होकर मन्नूर, थोडुकाडु, सेंगडू, उलुंडई को जोड़ने वाले स्पर सहित

		राष्ट्रीय राजमार्ग 16 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला और तमिलनाडु राज्य में हुसैन नगरम के निकट समाप्त होने वाला राजमार्ग।
--	--	--

[फा.सं. एनएच-14012/12/2022-पी एंड एम]

शेख अमीनखान, निदेशक

पाद टिप्पण: राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की अनुसूची, भारत के राजपत्र में दिनांक 4 अप्रैल, 2011 को प्रकाशित अधिसूचना सं. का.आ. 689 (अ), दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित की गई थी और पिछली बार संशोधन अधिसूचना सं. का.आ. 444(अ), दिनांकित 30 जनवरी 2026 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd April, 2026

S.O. 2064(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby declares each of the highways specified in columns (2) and (3) of the Table below to be a national highway.

The said highways, now declared to be national highways, shall be deemed to be specified in the Schedule to the said Act with the new serial numbers, the new national highways numbers and the description of the national highways thereof, as indicated in columns (1), (2) and (3) respectively, of the said Table.

Serial No.	New National Highway No.	Description of National Highways
(1)	(2)	(3)
157	48	The highway starting from Dhaula Kuan (Delhi) connecting Bawal in the State of Haryana, Kotputli, near Jaipur, Kishangarh, Bhilwara, Chittaurgarh, Udaipur in the State of Rajasthan, Ahmedabad, Vadodara, Ankleshwar in the State of Gujarat, Mumbai, Thane, Pune, Satara, Kolhapur in the State of Maharashtra, Belgaum, Chitradurga, Bangaluru in the State of Karnataka, Krishnagiri, Vellor and terminating at its junction with NH 16 near Chennai in the State of Tamil Nadu including spur starting from its junction near Thandavalam connecting Mannur, Thodukadu, Sengadu, Ulundai and terminating near Hussain Nagaram in the state of Tamil Nadu.

[F. No. NH-14012/12/2022-P&M]

SHAIKH AMINKHAN, Director

Footnote: -The Schedule to the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) was substituted vide notification number S.O.689 (E), dated 4th April, 2011 published in the Gazette of India, dated the 4th April, 2011 and subsequently amended vide notifications number S.O. 444(E) dated 30th January, 2026.